कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

Email:- direleshaladarshan@gmail.com Office ShalaDarpan_Id: 8098 Phone:- 01512226551

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शाला दर्पण/सी/19439/स्टा.पैटर्न/वो.–3/2020–21/ दिनांकः– 21.09.2021

1–मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला

2–जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा समस्त

3– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक

4– पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)/ संस्था प्रधान राप्रावि/राउप्रावि समस्त।

विषयः प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न, 2021 के अन्तर्गत पदो के पुनर्निर्धारण से पूर्व विद्यालयों का नामांकन अपडेट करने एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन की इच्छित तृतीय भाषा की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि/मैपिंग बाबत।

प्रसंगः–शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं. राज (प्रा.शि.),जयपुर के आदेशांकः प.5 (8)/प्राशि/2016 जयपुर दिनांकः 28.05.2019, संशोधित आदेश दिनांकः 19.01.2021 एवं निदेशालय मा.शि., राज., बीकानेर के पत्रांकः शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/वो–2/2020/25 दिनांकः 20.11.2020 एवं समसंख्यक पत्र दिनांकः 24.11.2020 तथा दिनांकः 11.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न संबंधी प्रासंगिक दिशा–निर्देश के अनुसरण में प्रारंभिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में सत्र 2021–22 में शैक्षणिक कार्मिकों के पदो के पुनर्निर्धारण संबंधी कार्यवाही होनी है, जिसके क्रम में कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उक्त स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से विद्यालयवार पद आवंटन से पूर्व विद्यालय स्तर से निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1– समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षाध्यापकों एवं संस्था प्रधानों द्वारा दिनांकः 30.09.2021 तक आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त दिनांक तक के प्रवेशित एवं अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट है। स्टाफिंग पैटर्न जेनेरेट किये जाने के उपरांत यदि नामांकन अपडेट नहीं होने के कारण वास्तविक नामांकन के अनुरूप पद आवंटिन नहीं होने संबंधी प्रकरण किसी भी स्तर से संज्ञान में आता है तो इस हेतु संबंधित कक्षाध्यापक/संस्था प्रधान/पीईईओ/सीबीईओ/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रा.शि. का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

2– स्टाफिंग पैटर्न प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयवार शैक्षणिक कार्मिकों के पद आवंटन के अन्तर्गत तृतीय भाषा विषयाध्यापकों के पद आवंटन के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षा विभाग एवं पंचायत राज के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की विद्यार्थी/अभिभावक की लिखित सहमति के अनुसार अध्ययन की इच्छित तृतीय भाषा की प्रविष्टि/मैपिंग दिनांकः 30.09.2021 तक आवश्यक रूप से की जानी है। उक्त मैपिंग संबंधी कार्यवाही पूर्व में इस हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा स्तर से जारी संलग्न प्रसंगोक्त आदेश में अंकित निर्देशों के अनुरूप ही चालू सत्र 2021–22 हेतु की जानी है एवं प्रसंगोक्त पत्र दिनांकः 11.12.2020 के अनुरूप ही दिनांक 02.10.2021

तक संबंधित सीबीईओ एवं सीडीईओ स्तर से पोर्टल पर विद्यालय स्तर से प्रविष्ट मैपिंग के सत्यापन संबंधी कार्य सम्पादन किया जावेगा।

अतः उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण गम्भीरता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर

कमांकः– शिविरा/प्रारं/शाला दर्पण/सी/19439/स्टा.पैटर्न/वो.–3/2020–21/ दिनांकः– 21.09.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.), विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
5. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. केन्द्र, जयपुर।
6. उप–निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर को एन.आई.सी. के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक, कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर